राजस्थान सरकार

निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर

क्रमांक : एफ.4(ई)(एस–2982 / 2013) / अलेसे–III / 5281 दिनांक :– 03.03.2020

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अभिशंषा क्रमांक 7(38)परीक्षा 'ख' / क.ले. / 2012–13 / 119 दिनांक 30.06.2017 के अनुसरण में विभागीय आदेश संख्या 105 / 2017–18 दिनांक 06.07.2017 के द्वारा श्री शिव प्रकाश पुत्र श्री केसराराम (मेरिट नं. 2982 / 2013) का कार्यालय अधि.अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड फतेहगढ़ (जैसलमेर) में कनिष्ठ लेखाकार के पद पर पदस्थापन किया गया था जिसके अनुसरण में श्री शिव प्रकाश द्वारा दिनांक 14.07.2017 को मध्यान्ह पूर्व कार्य ग्रहण किया गया।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के पत्र क्रमांक 7(38)परीक्षा 'ख' / क.ले. / 2012–13 / 830 दिनांक 30.10.2017 के द्वारा पूर्व अभिशंषा दिनांक 30.06.2017 को सहवन से होना अवगत करवाया गया, जिसके अनुसरण में विभागीय आदेश संख्या 198 / 2017–18 दिनांक 31.10.2017 के द्वारा श्री शिव प्रकाश पुत्र श्री केसराराम (मेरिट नं. 2982 / 2013) की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया।

तत्पश्चात राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के द्वारा शासन से प्राप्त मार्गदर्शन दिनांक 18.09.2017 के क्रम में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 7(38)परीक्षा 'ख' / क.ले. / 2012–13 / 831 दिनांक 08.11.2017 के अनुसार श्री शिव प्रकाश पुत्र श्री केसराराम (मेरिट नं. 2982 / 2013) की कनिष्ठ लेखाकार पद पर नियुक्ति हेतु पुनः अभिशंषा प्रेषित की गई जिसके अनुसरण में निदेशालय द्वारा आदेश संख्या 262 / 2017–18 दिनांक 21.12.2017 के द्वारा श्री शिव प्रकाश को सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सम (जैसलमेर) में कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई।

उक्त क्रम में श्री शिव प्रकाश द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच में डीबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 22658 / 2017 शिव प्रकाश बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त स्थगन आदेश दिनांक 20.12.2017 के क्रम में श्री शिव प्रकाश द्वारा दिनांक 04.01.2018 को मध्यान्ह पूर्व कार्यालय अधि. अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड फतेहगढ़ (जैसलमेर) में पुनः कार्य ग्रहण किया गया।

डीबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 22658 / 2017 शिव प्रकाश बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच द्वारा दिनांक 09.09.2019 को यह निर्णय आदेश प्रदान किया गया कि "the petitioner would be allowed to continue as Junior Accountant with effect from the date he was originally appointed with all continuity of service"। माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा प्रदत्त उक्त निर्णय दिनांक 09.09.2019 के विरूद्ध आगे अपील दायर नहीं करने का सक्षम स्तर से निर्णय लिया जा चुका है।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा सिविल रिट पिटीशन संख्या 22658 / 2017 शिव प्रकाश बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में प्रदत्त उक्त निर्णय दिनांक 09.09.2019 की पालना में श्री शिव प्रकाश पुत्र श्री केसराराम की कनिष्ठ लेखाकार पद पर प्रथम नियुक्ति की तिथि / कार्यग्रहण करने की तिथि अर्थात 14.07.2017 से कनिष्ठ लेखाकार पद पर उनकी सेवाऐं निरन्तर मानने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक : एफ.4(ई)(एस–2982 / 2013) / अलेसे–III / 5281 दिनांक :– 03.03.2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड फतेहगढ़, जैसलमेर।
5. श्री शिव प्रकाश, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड फतेहगढ़, जैसलमेर।
6. सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सम (जैसलमेर)।
7. अतिरिक्त निजी सचिव निदेशक महोदय।
8. उप निदेशक(एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. पदस्थापन सीट / वरिष्ठता सीट / गोपनीय शाखा।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–III)